

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 11/2022 बउनवानी के.बी.मीना बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार बामनवास द्वारा-श्री संजीव कुमार सैन, मकान नम्बर, 686/64 वार्ड नम्बर-64 राज. सीनियर सै0 स्कूल के पीछे एवं विराठ माता मंदिर के सामने, सुभाष नगर भीलवाडा 311001

GCMS No-2022/11

On line Appeal No- 321589077630640

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

08.02.2022

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बामनवास की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 26.7.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बामनवास के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:-

- 1- ग्राम झाडोली के प्रधानमंत्री किसान समान निधि योजना मे लाभ ले रहे किसानो के कुल लाभार्थियो की सूची उपलब्ध करवायी जावे ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बामनवास द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बामनवास को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बामनवास की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक: आरटीआई/2022/14 दिनांक 7.2.2022 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 26.7.2021 के बिन्दु संख्या 1 पर चाही गयी सूचना (ग्राम झाडोली के प्रधानमंत्री किसान समान निधि योजना मे लाभ ले रहे किसानो के कुल लाभार्थियो की सूची पोर्टल से अपलोड कर) अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 13 दिनांक 7.2.2022 को जरिये डाक एवं जरिये ई-मेल भिजवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 26.7.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 की सूचना तहसीलदार बामनवास के पत्रांक 13 दिनांक 7.2.2022 से अपीलान्ट को जरिये डाक एवं जरिये ई-मेल भिजवायी जा चुकी है किन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को उक्त सूचना अधिनियम की तय समय सीमा गुजरने के उपरान्त उपलब्ध करवायी गयी है इसलिए तहसीलदार बामनवास को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे उक्त अधिनियम तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का अधिनियम की तय समय सीमा में निस्तारण करते हुए संबंधित को सूचना उपलब्ध करवायी जावे। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलान्ट को वांछित सूचनाएं उपलब्ध हो चुकी है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझता हूँ। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से प्रेषित हो एवं बाद तकमिल दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर